Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या 10/2016 (50/2014) CIS No 47739/2014 गोपाल सहाय बनाम पुरूषोत्तम वअन्य 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20–08–2024	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीया श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री गोपाल सहाय की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 32 नियम 15 व आदेश 32(क) व धारा 151 सी.पी.सी. पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कूटरचित वसीयतनामा निष्पादित किया गया, जबकि वादग्रस्त जायदाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त मिलकीयत की जायदात है और उसका विभाजन नहीं हुआ है, जिसका वाद प्रार्थीया के पति गोपाल सहाय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गोपाल सहाय बीमार चल रहे हैं और उनकी मानसिक बीमारी के कारण वे आगे की कार्यवाही चलाने में असमर्थ है। प्रार्थीया उनकी पत्नी है, जिसको सभी तथ्यों की जानकारी है। बीमारी के सम्बंध में प्रमाणपत्र भी चिकित्सक का प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वादी गोपाल सहाय के लिए उसकी पत्नी प्रार्थीया मंजू शर्मा को वादमित्र घोषित किया जाए। उसे इस वाद के आगे की कार्यवाही संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत C.R.P.PD.No.3873 of 2019 and C.M.P.No.25577 of 2019 K.Shanmugasundaram Vs Saraswathi (died) Nagaraj and others प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का तर्क है कि वादी ने वाद गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है। वादी किस प्रकार से, कब से अक्षम हुआ, इसका उल्लेख नहीं है। वादी ने वाद प्रस्तुत किया उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, किस कारण और कब अस्वस्थ हुआ, मानसिक रूप से वादी की स्थिति ऐसी हो कि वह अपना कार्य नहीं कर सकता हो, ऐसा प्रार्थीया ने प्रमाणित नहीं किया है। जांच के दौरान भी वादी ने जो परिस्थितियां बताई है, उससे भी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। प्रार्थीया अनावश्क रूप से दबाव डालने के लिए, पेचिदगियां उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रही है, जिसे सव्यय खारिज किया जाए। प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008(1) RLW 512 Mohan lal	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या 10/2016 (50/2014) CIS No 47739/2014 गोपाल सहाय बनाम पुरूषोत्तम वअन्य 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Vs The Addl. District Sessions Judge No.3 And another.प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया

उभय पक्ष को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने व साथ ही विधिक स्थिति का अवलोकन कर मनन करने के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धातों से मार्गदर्शन प्राप्त करने पर यह विधिक स्थिति स्पष्ट है कि आदेश 32 नियम 15 सी.पी.सी. में ऐसे व्यक्ति के लिए वादमित्र नियुक्त किया जा सकता है, जो विकृतचित न्याय निर्णीत किया गया हो या जांच पर वह किसी मानसिक दौर्बल्य के कारण अपने हित की सुरक्षा करने में असमर्थ पाया जाए। वादी गोपाल सहाय की मानसिक स्थिति कैसे है? इस सम्बंध में जांच करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07–08–2024 को वादी गोपाल सहाय को उपस्थित रखने के निर्देश दिए गए। दिनांक 14–08–2024 को वादी गोपाल सहाय, उसकी पत्नी श्रीमती मंजू शर्मा व प्रतिवादी उपस्थित हुए, जिनके समक्ष वादी गोपाल सहाय से सामान्य प्रश्न किए गए, जिसमें उसके व्यक्तिगत, पत्रावली पर प्रस्तुत वाद और मामले से सम्बंधित व वादी की समझ, समर्थ व मानसिक स्थिति जांचने के लिए आवश्यक प्रश्न किए गए। वादी ने जिस प्रकार से उन सब का उत्तर दिया, उनमें कभी तो वह लगातार बोलता रहता है। प्रश्नगत से असंगत उत्तर देता है। कभी–कभी ही प्रश्नों का उत्तर देता है और उसने यह बताया कि उसकी देखभाल उसकी पत्नी मंजू देवी ही करती है और उसका ही उसको भरोसा है। वादी गोपाल सहाय के प्रार्थनापत्र पर सक्षम चिकित्सक मस्तिष्क एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा एवं नशा मुक्ति, ज.ला.ने.मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, अजमेर के चिकित्सक डॉ.महेन्द्र जैन द्वारा वादी गोपाल सहाय का डिसअबेलिटी सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। चिकित्सीय प्रमाणपत्र को इस स्टेज पर गलत ठहराने का न्यायालय के समक्ष कोई आधार नहीं है। चिकित्सक के प्रमाणपत्र व वादी से की गई जांच, पक्षकार से इस सम्बंध में किएगए प्रश्नों सहित समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वादी गोपाल सहाय की मानसिक दौर्बल्यता के कारण वह इस वाद पर प्रभावी कार्यवाही कर अपने हितों की रक्षा करने केलिए सक्षम नहीं होने से उसके लिए उसकी पत्नी प्रार्थीया श्रीमती मंजू शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार कर वादी गोपाल सहाय की मानसिक दौर्बल्यता के कारण वादी गोपाल सहाय के वादपत्र के रूप में प्रार्थीया श्रीमती मंजू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या 10/2016 (50/2014) CIS No 47739/2014 गोपाल सहाय बनाम पुरूषोत्तम वअन्य 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शर्मा को नियुक्त किया जाता है, जो इस प्रकरण में इस वाद के आगे की कार्यवाही संचालित करेंगी। वादी 01 सप्ताह में संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करें। चूंकि यह प्रकरण टारगेट केसेज में शामिल हैं, इसलिए वादीको आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 04–09–2024 से पूर्व सभी गवाहों के शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं नियत दिनांक को सभी गवाहों को उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 04–09–2024 को पेश हो।	